न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजाखेड़ा (धौलपुर)

पीठासीन अधिकारी:- बृजेश कुमार मंगल (आर.ए.एस)

मुकदमा नम्बर: 28/2019

उनवान: 1- सत्यनारायण पुत्र श्री रामदास जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम हनुमानपुरा तहसील राजाखेड़ा जिला धौलपुर। ------ प्रार्थी / वादी

बनाम

1- सोरन ~~सौर~~ पुत्रगण कल्याणसिंह जाति ब्राह्मण
2- रामनाथ ~~पुत्र~~ निवासी ग्राम हनुमानपुरा तहसील
3- रामसरूप राजाखेड़ा।
4- भागवत पुत्र शिवचरन
5- मुकेश
6- बन्टा
7- राधे
8- सोनू
पुत्रगण रामसरूप जातिगण ब्राह्मण निवासीगण ग्राम तहसील राजाखेड़ा जिला धौलपुर

---- अप्रार्थीगण / अस्थल प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र आधीन आदेश-39 नियम 32 जाप्ता दीवानी।

उपस्थित:- श्री किशन सिंह त्यागी अभिभाषक, प्रार्थी

निर्णय दिनांक:- 01-4-2021

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय अन्तर्गत आदेश 39 नियम 32 जाप्ता दीवानी इन तथ्यों के साथ पेश किया है कि प्रार्थी एवं प्रार्थी की माँ रामरती ने अप्रार्थीगण एवं अन्य पक्षकार प्रेमलता, अंकुर, अभिषेक एवं तहसीलदार राजाखेड़ा के विरुद्ध एक स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया था तथा यह अनुतोष चाहा गया था कि विवादित खसरा नं० 373, 374, 415, 416, 528, 1414/408 1418/409 स्थित ग्राम हनुमानपुरा के बाबत प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करें तथा मेड़ को नहीं तोड़े व जबरन कब्जा नहीं करें। इस वाद का उनवान सत्यनारायण व सोरन तथा मुकदमा नम्बर 59/08 था। यह दावा दिनांक 7/2/2008

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

क्रमशः-2

को अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के विरुद्ध डिक्री किया जाकर अप्रार्थीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाय कि वह विवादित आराजी पर वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें तथा मेड़ को नहीं तोड़े। दावा डिक्री होने के बाद प्रार्थी शमरती ने उसके हिस्से की रिलीज डीड दिनांक 15-4-2011 को अपने नाम करा ली तथा प्रतिवादी प्रेमलता अंगद, अभिषेक से 2/12/2005 एवं 4-5-2009 को बयनामा प्रार्थी की पत्नी के नाम करा दिये इसलिए इस प्रकरण में उन्हें पक्षकार नहीं बनाया है। अप्रार्थीगण ने निर्णय व डिक्री दिनांक 7-2-2008 से पाबन्द रहते हुए विवादित आराजी में प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी कर रहे हैं तथा प्रार्थी की मेड़ को तोड़ रहे हैं तथा निर्णय व डिक्री की पालना जान बूझकर नहीं कर रहे, डिक्री की अवहेलना कर रहे हैं। माह फरवरी-2017 में उनके द्वारा विवादित आराजी पर प्रार्थी के जोतने बोने में दखलन्दाजी की जिसकी शिकायत उपखण्ड अधिकारी महोदय राजाखेड़ा को की। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा डिक्री की पालना हेतु SHO थाना राजाखेड़ा को लिखा। अप्रार्थीगण पुलिस सामने पालना करने को माने तथा पंचों में पालना करने का आश्वासन भी दिया। लेकिन माह जुलाई 2019 में पुनः विवादित आराजी का जोतने बोने में पुनः व्यवधान किया तथा विवादित आराजी ख. नं 528 की पूर्वी मेड़ तोड़कर विवादित आराजी के अन्दर डालदी अन्य नम्बरों की पाइपें भी मेड़ तोड़कर अन्दर डाल दी। जिसकी शिकायत SDO सा. राजाखेड़ा से करने पर पालना के आदेश दिये गये लेकिन माकूल कार्यवाही नहीं हुई। इस लिए प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय में यह प्रकरण प्रस्तुत किया है। जिसमें यह निवेदन किया गया है अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय के आदेश की खुली अवहेलना की है। जिसके लिए उसे जेल दीवानी में निरुद्ध किया जाकर उसकी सम्पत्ति को कुर्क व नीलाम किया जाकर प्रार्थी को हर्जाना दिलाया जावे एवं विवादित आराजी की पैमाइश कराई जाकर, पत्थर गढ़ी कराई जाकर मेड़ निर्धारित स्थान पर डलवाई जावे एवं पूर्व की स्थिति बहाल कराई जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। [illegible]

बावजूद तामील न्यायालय में उपस्थित नहीं आये अतः उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 दौराने प्रकरण फौत हो गये हैं अतः पत्रावली में उनके नाम के आगे फौत शब्द अंकित किया गया।

दस्तावेजी साक्ष्य में प्रार्थी ने नकल निर्णय दिनांक 7-2-08 दावा सं. 59/06, मौके के फोटो, नक्शा ट्रेस की प्रति, पटवारी द्वारा मौके की जाँच की रिपोर्ट पेश व साबित की गई एवं प्रार्थी द्वारा तहसीलदार राजाखेड़ा के समक्ष अप्रार्थीगण के विरुद्ध की गई शिकायत की प्रति साबित की गई पेश की है। तथा प्रार्थी का प्रमाणपत्र का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। मौके की जाँच तहसीलदार राजाखेड़ा से कराई गई जिसकी दिनांक 5-9-19 का मौका पर्चा के साथ पत्रांक 3130 दिनांक 20-9-19 से प्राप्त हुई है।

बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी एकपक्षीय सुनी गई। उनके द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराया तथा दस्तावेजी साक्ष्य एवं रिपोर्ट तहसीलदार से प्रार्थना पत्र के कथनों का साबित होना बताया तथा अप्रार्थीगण को दीवानी जेल भेजकर एवं उनकी सम्पत्ति की कुर्की एवं नीलामी का आदेश दिलाकर। प्रार्थी को दिलवाने एवं अन्य अनुतोषों के साथ प्रार्थना पत्र स्वीकार करने बाबत निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी पर गौर किया। प्रार्थी का यह कथन प्रस्तुत नकल निर्णय दिनांक 7-2-08 से भली भांति साबित होता है कि वाद संख्या 59/2006 उक्त दिनांक को पारित निर्णय व डिक्री में प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया विवादित आराजी पर किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करने हेतु पाबन्द किया गया है। तहसीलदार राजाखेड़ा द्वारा प्रस्तुत मौका पर्चा दिनांक 5-9-2019 के अनुसार, विवादित खेत की मेड़ को तोड़ा जाना पर्चा में बताया है तथा यह भी बताया है कि मौके पर अप्रार्थीगण को तहसीलदार न्यायालय के निर्णय बाबत बताया गया तथा उन्हें निर्णय की पालना हेतु पाबन्द भी किया गया तथा पक्षकारान को खेत खाली होने पर सीमाज्ञान हेतु सहमत किया तथा खेत खाली होने पर सीमाज्ञान का मेड़

(4)

डालने बाबत भी लिखा है। इसके बाद प्रार्थी की ओर से ऐसा कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया कि वर्ष बाद इंतकाल का उसने तहसील में पैमाइश हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया अथवा नहीं, पैमाइश करायी गयी अथवा नहीं। प्रार्थी की कितनी जमीन अप्रार्थीगण के कब्जे में है आदि बाबत कोई साक्ष्य एवं रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है एवं न ही किसी स्वतन्त्र गवाह का कोई बयान ही कराया है। इससे अप्रार्थीगण के विरुद्ध कोई भी कठोर कार्यवाही किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होती है। चूंकि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं तहसीलदार राजाखेड़ा की रिपोर्ट से अप्रार्थीगण का न्यायालय के आदेश अवमानना का प्रयास करना तो पाया ही जाता है। इसलिए हम प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

अतः आदेश है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी आधीन आदेश 39 नियम 32 जा०दी० आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर, विवादित आराजी ख०न० 373, 374, 515, 516, 528, 1514/508, 1516/509 स्थित ग्राम हनुमानपुरा तहसील राजाखेड़ा की पैमाइश करायी जाकर पत्थर गढ़ी करवाने जाने तथा पैमाइश के बिन्दु पर मेड़ डलवायी जाकर पूर्व की स्थिति बहाल कराये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार राजाखेड़ा को पालना हेतु लिखा जावे। यदि इस कार्य में पुलिस इमदाद की आवश्यकता हो तो एस०एच०ओ० थाना दिहोली से मदद ली जावे जिसकी एक प्रति एस०एच०ओ० थाना दिहोली को भी पालनार्थ भेजी जावे। पत्थर गढ़ी का खर्च प्रार्थी वहन करेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 01-4-2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

R

(बृजेश कुमार मंगल)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)